



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 586]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 5, 2003/अग्रहायण 14, 1925

No. 586]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 5, 2003/AGRAHAYANA 14, 1925

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2003

सा.का.नि. 929(अ).— बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड द्वारा व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की धारा 92 द्वारा, इसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए बनाए गए निम्नलिखित नियमों को जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड

बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड (प्रक्रिया) नियम, 2003

अपील बोर्ड, व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की धारा 92 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड (प्रक्रिया) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं -- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 (1999 का 47) अभिप्रेत है ;

(ख) "तामिल के लिए पता" से किसी आवेदक या अपीलार्थी या प्रत्यर्थी अथवा उसके प्राधिकृत अभिकर्ता या उसके विधि व्यवसायी द्वारा दिया गया वह पता अभिप्रेत है, जिस पर समनों, सूचनाओं अथवा अन्य आदेशिकाओं की तामिल की जा सकती है ;

- (ग) "अभिकर्ता" से किसी आवेदक या अपीलार्थी अथवा प्रत्यर्थी द्वारा अपील बोर्ड के समक्ष उनकी ओर से आवेदन, अपील, प्रतिकथन उत्तर, प्रत्युत्तर साक्ष्य अथवा कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 145 में विनिर्दिष्ट कोई अभिकर्ता भी है ;
- (घ) "अपील" से व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 की धारा 91 के अधीन कोई अपील अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आरंभिक अपील और स्थानांतरित अपील भी है ;
- (ङ) "अपीलार्थी" से धारा 91 के अधीन अपील बोर्ड से अपील करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;
- (च) "आवेदन" से धारा 47 के अधीन रजिस्टर से रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह को हटाने या धारा 57 अथवा 125 के अधीन रजिस्टर का परिशोधन करने के लिए कोई आवेदन अभिप्रेत है ;
- (छ) "उप-रजिस्ट्रार" से अपील बोर्ड का उप-रजिस्ट्रार अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा कोई अधिकारी भी है जिसे उप-रजिस्ट्रार की शक्तियां और कृत्य प्रत्यायोजित किए जाएं ;
- (ज) "फीस" से इन नियमों की दूसरी अनुसूची के अधीन विहित फीस अभिप्रेत है ;
- (झ) "प्ररूप" से इन नियमों की पहली अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्ट प्ररूप अभिप्रेत है ;
- (ञ) "विधि व्यवसायी" का वही अर्थ है, जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) में उसका है ;
- (ट) "विधिक प्रतिनिधि" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो मृत व्यक्ति की संपदा का विधिक प्रतिनिधित्व करता है ;
- (ठ) "अभिव्यक्त" के अंतर्गत आवेदन या अपील प्रतिकथन, उत्तर, प्रत्युत्तर और उनके अनुपूरक साक्ष्य तथा अपील बोर्ड के समक्ष फाइल किए जाने के लिए अनुज्ञेय अन्य दस्तावेज भी हैं ;
- (ड) "रजिस्ट्री" से अपील बोर्ड की रजिस्ट्री अभिप्रेत है ;
- (ढ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;
- (ण) "अंतरित आवेदन या अपील" से ऐसा कोई आवेदन या अपील या अन्य कार्यवाहियां अभिप्रेत हैं, जिसे धारा 100 के अधीन अपील बोर्ड को अंतरित किया गया है ;
- (त) इन नियमों में प्रयुक्त उन शब्दों और पदों के, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं ;

आवेदन या अपील की प्रक्रिया का प्ररूप

- (1) अपील बोर्ड की रजिस्ट्री में किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा कोई आवेदन व्यापार चिन्ह (बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड को आवेदन और अपील) नियम, 2003 से उपाबद्ध प्ररूप 1 में फाइल किया जाएगा ;
- (2) व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रार के किसी आदेश या विनिश्चय से कोई अपील व्यापार चिन्ह (बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड को आवेदन और अपील) नियम, 2003 के प्ररूप 2,3 या 4 में फाइल की जाएगी ;

- (3) डाक द्वारा भेजा गया कोई आवेदन या अपील उस तारीख को रजिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया समझा जाएगा, जिस तारीख को वह रजिस्ट्री में प्राप्त हुआ था ।

4. फीस का संदाय -

विहित फीस का संदाय उप रजिस्ट्रार, बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड के पक्ष में लिखे बैंक ड्राफ्ट द्वारा चेन्डई में किया जाएगा ।

5. अपील बोर्ड की भाषा :-

- (1) अपील बोर्ड की कार्यवाहियां अंग्रेजी या हिन्दी में होंगी ।
 (2) अपील बोर्ड की सभी विनिश्चय या आदेश या तो अंग्रेजी या हिन्दी में होंगे ।

6. आवेदन या अपील का लिखित में होना --

- (1) अपील बोर्ड के समक्ष फाइल किया जाने वाला प्रत्येक आवेदन, अपील, प्रतिकथन, उत्तर, प्रत्युत्तर या अन्य दस्तावेज साफ-साफ टाइप किया हुआ या मुद्रित होगा ।
 (2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन या अपील, पेपर बुक के रूप में तीन सेट में फाइल के आकार के खाली लिफाफे के साथ पेश किया जाएगा जिसमें प्रत्यर्थी का पूरा पता लिखा होगा और यदि एक से अधिक प्रत्यर्थी हों तो पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त पेपर बुक, प्रत्येक अभ्यर्थी के पूरे पते वाले फाइल साइज के खाली लिफाफे के साथ आवेदक या अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा ।

7. आवेदन या अपील का प्रस्तुतिकरण और संवीक्षा --

- (1) उप रजिस्ट्रार प्रत्येक आवेदन या अपील पर वह तारीख पृष्ठांकित करेगा जिसको यह प्रस्तुत की जाती है ।
 (2) यदि संवीक्षा करने पर, आवेदन या अपील को ठीक पाया जाता है तो इसे सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और एक क्रम संख्या दी जाएगी ;
 (3) यदि किसी आवेदन या अपील को त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और पाई गई त्रुटि औपचारिक प्रकृति की है तो उप रजिस्ट्रार, आवेदक या अपीलार्थी को अपने सामने उसे परिशोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा और यदि उक्त त्रुटि औपचारिक प्रकृति की नहीं है तो उप रजिस्ट्रार आवेदक या अपीलार्थी को, त्रुटि का परिशोधन करने के लिए पंद्रह दिन के समय की, जो वह ठीक समझे, अनुज्ञा दे सकेगा । यदि आवेदन या अपील को डाक द्वारा भेजा गया है और उसे त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो उप रजिस्ट्रार त्रुटियों की संसूचना आवेदक या अपीलार्थी को देगा और आवेदक या अपीलार्थी को त्रुटियों का परिशोधन करने के लिए, उप रजिस्ट्रार से संसूचना की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन का समय अनुज्ञात कर सकेगा ।
 (4) यदि आवेदक या अपीलार्थी उपनियम (3) में अनुज्ञात समय के भीतर त्रुटियों का परिशोधन करने में असफल रहता है, तो आवेदन या अपील को परित्यक्त समझा जाएगा ।

8. आवेदन या अपील के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज --

- (1) प्रत्येक आवेदन पेपर बुक के रूप में तीन प्रतियों में होगा और सभी साक्ष्य, यदि कोई है, शपथपत्रों के रूप में होंगे।
- (2) प्रत्येक अपील पेपर बुक के रूप में तीन प्रतियों में होगी और उसके साथ आदेश की प्रतियां, जिनमें से कम से कम एक प्रमाणित प्रति होगी, जिसके विरुद्ध अपील फाइल की जाती है, और उसके साथ शपथपत्रों के रूप में साक्ष्य होंगे।
- (3) जहां कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व करता है, वहां प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के प्राधिकार की एक प्रति आवेदन या अपील के साथ संलग्न की जाएगी।

9. प्रत्यर्थी को आवेदन या अपील की सूचना --

उप रजिस्ट्रार, आवेदन या अपील के रजिस्ट्री में रजिस्ट्रीकृत होने के पश्चात् शीघ्र ही उसकी एक प्रति को पेपर बुक रूप में प्रत्यर्थी पर तामील करेगा।

10. प्रत्यर्थी द्वारा आवेदन या अपील और अन्य दस्तावेजों का प्रतिकथन फाइल किया जाना --

- (1) प्रत्यर्थी, व्यापार चिन्ह (बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड को आवेदन या अपील) नियम, 2003 के विहित प्ररूप 1, प्ररूप 2 या प्ररूप 3 में फाइल किए गए आवेदन या अपील की प्राप्ति के पश्चात् उसे आवेदन या अपील फाइल किए जाने की सूचना के तामील से दो मास के भीतर रजिस्ट्री के समक्ष इन नियमों के अधीन विहित प्ररूप 1 में दस्तावेजों के साथ, जिनके अंतर्गत शपथपत्रों के रूप में साक्ष्य भी हैं, यदि कोई हों, आवेदन या अपील के उत्तर वाले प्रतिकथन को तीन संपूर्ण सेटों में पेपर बुक रूप में फाइल कर सकेगा। प्रतिकथन की एक प्रति प्रत्यर्थी द्वारा रजिस्ट्री को सूचना देते हुए, सीधे ही आवेदक या अपीलार्थी को तामील की जाएगी।
- (2) प्रत्यर्थी, व्यापार चिन्ह (बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड को आवेदन और अपील) नियम, 2003 के विहित प्ररूप 4 में फाइल की गई अपील की प्राप्ति के पश्चात् उसे अपील फाइल किए जाने की सूचना के तामील के दो मास के भीतर रजिस्ट्री के समक्ष इन नियमों के अधीन विहित प्ररूप 2 में अपील के उत्तर वाले प्रतिकथन को तीन संपूर्ण सेटों में पेपर बुक रूप में फाइल कर सकेगा। प्रति कथन की एक प्रति प्रत्यर्थी द्वारा रजिस्ट्री को सूचना देते हुए, सीधे अपीलार्थी को तामील की जाएगी। इसके पश्चात् मामले की सुनवाई आरंभ होगी।

11. आवेदक या अपीलार्थी द्वारा उत्तर का फाइल किया जाना --

आवेदक या अपीलार्थी प्रतिकथन की प्राप्ति के पश्चात्, उसे प्रतिकथन के तामील के दो मास के भीतर, रजिस्ट्री में शपथपत्रों के रूप में साक्ष्यों सहित, यदि कोई हों, अपने उत्तर को तीन प्रतियों में फाइल कर सकेगा। उत्तर की एक प्रति रजिस्ट्री को सूचना देते हुए, सीधे प्रत्यर्थी को तामील की जाएगी।

12. प्रदर्श --

जहां शपथपत्रों के प्रदर्श हैं, वहां ऐसे प्रदर्शों की एक प्रति दूसरे पक्षकार को भेजी जाएगी। मूल पत्रों को दूसरे पक्षकार के निरीक्षण के लिए अपील बोर्ड में छोड़ा जाएगा। जब तक अन्यथा अपील बोर्ड निदेश न दें इन्हें सुनवाई पर प्रस्तुत किया जाएगा।

13. दस्तावेजों का अनुवाद :-

जहां किसी कार्यवाही में कोई दस्तावेज हिन्दी या अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी भाषा में निर्दिष्ट किया जाता है वहां उसका हिन्दी या अंग्रेजी में अनुप्रमाणित अनुवाद तीन प्रतियों में अपील बोर्ड को भेजा जाएगा और उसकी एक प्रति रजिस्ट्री की सूचना के अधीन अन्य पक्षकार या पक्षकारों को सीधे ही तामील की जाएगी।

14. समय का विस्तारण

(1) यदि अपील बोर्ड का, इन नियमों के अधीन विहित प्ररूप 3 में इसे दिए गए आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों के अधीन कोई विहित कार्य करने के लिए समय विस्तारण के लिए (जो व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित समय नहीं है) पर्याप्त कारण हैं, चाहे इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया गया समय समाप्त हो गया है अथवा नहीं, तो वह ऐसी शर्तों के अध्याधीन, जो वह अधिशोषित करना ठीक समझे, समय विस्तारित कर सकेगा और तदनुसार पक्षकारों को सूचित करेगा।

(2) उपनियम (1) की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि अपील बोर्ड से यह अपेक्षित है कि वह समय विस्तारण के किसी आवेदन का निपटारा करते समय पक्षकारों की सुनवाई करे और इस नियम के अधीन अपील बोर्ड के किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।

15. तीसरे पक्षकारों द्वारा हस्तक्षेप -

किसी व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति, जिसने किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह में हितबद्ध होने का अभिकथन किया है, जिसकी बाबत धारा 91 के अधीन रजिस्ट्रार के किसी व्यापार चिन्ह को हटाने या रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने या उसमें परिवर्तन करने और रजिस्ट्रार में परिशोधन करने के आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध अपील फाइल की गई है, अपने हित की प्रकृति का कथन करते हुए, हस्तक्षेप करने की इजाजत के लिए इन नियमों के अधीन विहित प्ररूप 4 में आवेदन कर सकता है और उपरजिस्ट्रार, संबद्ध पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात्, यदि ऐसा अपेक्षित हो तो, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे ऐसी इजाजत प्रदान कर सकेगा या देने से इंकार कर सकेगा।

16. सुनवाई की तारीख का अधिसूचित किया जाना -

अपील बोर्ड पक्षकारों को, आवेदन या अपील की सुनवाई की तारीख और स्थान के बारे में ऐसी शर्तों में जो अध्यक्ष साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, अधिसूचित करेगा।

17. आवेदन या अपील की सुनवाई -

- (1) नियत तारीख को या उस तारीख को, जिसके लिए सुनवाई स्थगित हो, अपील बोर्ड की न्यायपीठ द्वारा पक्षकारों की सुनवाई की जाएगी।
- (2) उस दशा में, जहां आवेदक या अपीलार्थी सुनवाई पर उपसंज्ञात नहीं होता है, मामले को परित्यक्त माना जाएगा।

18. सुनवाई का स्थगन -

सुनवाई का कोई पक्षकार, विहित फीस सहित दूसरे पक्षकार की सहमति के साथ, सुनवाई की तारीख से पंद्रह दिन पूर्व इन नियमों के अधीन प्ररूप 5 में सुनवाई के स्थगन के लिए तीन प्रतियों में आवेदन कर सकेगा। अपील बोर्ड आवेदन पर विचार कर सकेगा और ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

19. अपील बोर्ड द्वारा खर्च अधिनिर्णीत करना -

अपील बोर्ड, मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षकारों को ऐसे खर्च अधिनिर्णीत कर सकेगा, जिन्हें वह उचित समझे।

20. आदेश पर हस्ताक्षर करना और तारीख डालना --

- (1) अपील बोर्ड के प्रत्येक आदेश पर न्यायपीठ के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और तारीख डाली जाएगी ।
- (2) आदेश को न्यायपीठ की बैठक में सुनाया जाएगा ।

21. आदेशों की संसूचना --

न्यायपीठ द्वारा पारित प्रत्येक आदेश की एक-एक प्रमाणित प्रति कार्यवाहियों के पक्षकारों को भेजी जाएगी ।

22. आदेशों का प्रकाशन --

न्यायपीठ के ऐसे आदेशों को, जिन्हें किसी प्राधिकृत रिपोर्ट या प्रेस में प्रकाशन के लिए ठीक समझा जाता है, ऐसे प्रकाशनों के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो अध्यक्ष द्वारा अधिकथित की जाएं, जारी किया जाएगा ।

23. पुनर्विलोकन याचिकाएं --

- (1) अपील बोर्ड के किसी आदेश के पुनर्विलोकन के लिए याचिका तीन प्रतियों में, आदेश की संसूचना की तारीख से दो मास के भीतर, इन नियमों के अधीन विहित प्ररूप 6 में, ऐसे आधारों को, जिन पर पुनर्विलोकन की मांग की गई है, उपवर्णित करने वाले एक कथन के साथ रजिस्ट्री दी जा सकेगी । जहां प्रश्नगत आदेश, एक से अधिक प्रत्यर्थियों से संबंधित है, वहां पर्याप्त संख्या में ऐसी याचिकाओं और कथन की अतिरिक्त प्रतियां फाइल की जाएंगी ।
- (2) रजिस्ट्री, याचिका और कथन को पुनर्विलोकन याचिका के प्रत्यर्थियों को भेजेगी ।
- (3) प्रत्यर्थी, पुनर्विलोकन याचिका की प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर इन नियमों के अधीन प्ररूप 1 में प्रतिकथन फाइल कर सकेंगे और रजिस्ट्री को सूचना देते हुए, प्रति कथन की एक प्रति को सीधे याचिकर्ता को भेजेंगे ।
- (4) पुनर्विलोकन याचिका को अध्यक्ष द्वारा सुनवाई के लिए किसी न्यायपीठ से समझ भेजा जाएगा ।

24. किसी पक्षकार की मृत्यु, विलयन, समनुदेशन, अर्जन या पारेषण के पश्चात् कार्यवाहियों का जारी रहना -

यदि किसी पक्षकार की मृत्यु पर या विलयन, समनुदेशन, अर्जन या पारेषण द्वारा कोई नया पक्षकार कार्यवाहियां जारी रखने के लिए हकदार हो जाता है तो इस बात के समर्थन में साक्ष्य के साथ अनुरोध फाइल करने के अधीन रहते हुए कार्यवाही जारी रहेगी ।

25. अभिलेखों के निरीक्षण और उसकी प्रतियां प्राप्त करने के लिए फीस --

- (1) किसी लंबित आवेदन या अपील या निर्णीत मामले के अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए प्रत्येक घंटे या उसके किसी भाग के लिए 150 रुपए की फीस प्रभारित की जाएगी ।
- (2) अभिलेख के प्रत्येक पृष्ठ की जिरोक्स प्रति उपलब्ध कराने के लिए 5 रुपए की फीस प्रभारित की जाएगी ।

26. उप रजिस्ट्रार के कृत्य -

- (1) उप रजिस्ट्रार, अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण के अधीन कृत्यों का निर्वहन करेगा। वह ऐसे अन्य कृत्यों का भी निर्वहन करेगा, जो उसे इन नियमों के अधीन या अध्यक्ष द्वारा लिखित में पृथक आदेश द्वारा उसे सौंपे जाएं।
- (2) अपील बोर्ड के अभिलेख उसकी अभिरक्षा में रहेंगे।
- (3) अपील बोर्ड की शासकीय मुद्रा उपरजिस्ट्रार की अभिरक्षा में रखी जाएगी।
- (4) अध्यक्ष के किसी साधारण या विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए, अपील बोर्ड की शासकीय मुद्रा, उप रजिस्ट्रार के लिखित प्राधिकार के सिवाय, किसी आदेश, समन या अन्य आदेशिका पर नहीं लगाई जाएगी।
- (5) उप रजिस्ट्रार के लिखित में प्राधिकार के सिवाय अपील बोर्ड की शासकीय मुद्रा को अपील बोर्ड द्वारा जारी किसी प्रमाणित प्रति पर नहीं लगाया जाएगा।

27. उप रजिस्ट्रार के अतिरिक्त कृत्य और कर्तव्य -

नियम 26 के अधीन सौंपे गए कृत्यों और कर्तव्यों के अतिरिक्त, उप रजिस्ट्रार के कृत्य और कर्तव्य, अध्यक्ष के किसी साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-

- (i) सभी आवेदनों, अपीलों, प्रति कथनों, उत्तरों और अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करना ;
- (ii) अपीलों और आवेदनों की, उनके रजिस्ट्रीकरण से पूर्व, संवीक्षा से उद्भूत होने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय करना ;
- (iii) अपील बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किसी आवेदन, अपील, प्रति कथन, उत्तर में नियमों के अनुसार संशोधन करने की अपेक्षा करना ;
- (iv) अध्यक्ष के निर्देशों के अधीन रहते हुए, आवेदनों या अपीलों या अन्य कार्यवाहियों की सुनवाई के लिए तारीख नियत करने और उसके लिए सूचना जारी करना ;
- (v) अभिलेखों में औपचारिक संशोधन करने का निदेश देना ;
- (vi) कार्यवाहियों के पक्षकारों को दस्तावेजों की प्रतियां प्रदाय करने का आदेश देना ;
- (vii) अपील बोर्ड के अभिलेख के निरीक्षण की इजाजत देना ;
- (viii) किसी न्यायालय, व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार या अन्य प्राधिकरण से अभिलेखों की अध्यपेक्षा करना ;
- (ix) प्रतिकथन, उत्तर, प्रत्युत्तर, आदि फाइल करने की बाबत समय-विस्तारण से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय करना।

28. अपील बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तकनीकी सदस्य और पक्षकारों के प्रतिनिधियों के लिए पोशाक का विनियमन -

- (i) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के लिए पोशाक काले कोट और काली टाई या गले तक बंद बटन वाले काले कोट के साथ सफेद पेंट होगी। यदि अधिकारी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ से हैं तो वे अपनी शासकीय पोशाक में होंगे।

(ii) अपील बोर्ड के समक्ष उपसंजात होने वाले वृत्तिकों की पोशाक, उनकी वृत्तिक पोशाक, यदि कोई हो, होगी और पक्षकारों के अन्य प्राधिकृत प्रतिनिधियों की दशा में यह निम्नलिखित होगी :-

(क) पुरुष की दशा में सफेद पैंट के ऊपर, काली टाई के साथ काला कोट या गले तक बंद बटन वाला काला कोट ।

(ख) महिला की दशा में सफेद या किसी अन्य हल्के रंग की साड़ी के ऊपर काला कोट ।

(ग) अपील बोर्ड के समक्ष उपसंजात होने वाले अन्य सभी व्यक्ति उचित पोशाक में होंगे ।

29. मुद्रा और संप्रतीक --

अपील बोर्ड की शासकीय मुद्रा और संप्रतीक वह होंगे, जिन्हें केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे ।

पहली अनुसूची

प्ररूप

क्रम सं०	बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड नियम, 2003	विषय	प्ररूप संख्या
1.	नियम 10(1)/23(3)	प्रतिकथन का फाइल किया जाना	प्ररूप 1
2.	नियम 10(2)	प्रतिकथन का फाइल किया जाना	प्ररूप 2
3.	नियम 14	समय विस्तारण के लिए आवेदन	प्ररूप 3
4.	नियम 15	रजिस्टर के परिशोधन या व्यापार चिन्ह रजिस्टर से व्यापार चिन्ह को हटाने से संबंधित कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करने की इजाजत के लिए आवेदन	प्ररूप 4
5.	नियम 18	सुनवाई के स्थगन के लिए आवेदन	प्ररूप 5
6.	नियम 23	अपील बोर्ड के आदेश के पुनर्विलोकन के लिए याचिका	प्ररूप 6

बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड के समक्ष

फीस 2000रु०

प्ररूप 1

प्रतिकथन का प्ररूप

[बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड नियम, 2003 का नियम 10(1)/23(3)]

(तीन प्रतियों में भरा जाए और उतनी ही प्रतियां संलग्न करें जितने रजिस्ट्रीकरण के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रयोक्ता/प्राधिकृत प्रयोक्ता हों)

आवेदन/रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह सं० प्रवर्ग के मामले में

मैं/हम(1) प्रतिवादी या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह सं० का/के रजिस्ट्रीकृत स्वामी/प्राधिकृत प्रयोक्ता एतद्वारा यह सूचना देता हूँ/देते हैं कि निम्नलिखित ऐसे आधार हैं, जिन पर मैं/हम अपने आवेदन/रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह के लिए निर्भर करता हूँ/करते हैं :

मैं/हम, आवेदन/अपील में निम्नलिखित अभिकथनों को स्वीकार करता हूँ/करते हैं :

इन कार्यवाहियों से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं :

1. व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत स्वामी या रजिस्ट्रीकृत प्रयोक्ता का नाम और पता बताएं ।

सत्यापन

मैं, (प्रत्यर्थी/ रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत स्वामी/रजिस्ट्रीकृत प्रयोक्ता का नाम), आयु वर्ष की राष्ट्रीयता, निवासी एतद्वारा यह सत्यापित करता हूँ कि पैरा से तक की अन्तर्वस्तु मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य है और पैरा से तक का विधिक सलाह पर सत्य होने का विश्वास किया जाता है और यह कि मैंने किसी सारवान सच्य को नहीं छिपाया है ।

तारीख :

स्थान :

प्रतिवादी/रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत स्वामी/ रजिस्ट्रीकृत प्रयोक्ता के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम)

सेवा में,

उप रजिस्ट्रार,
बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड,
एनेंक्सी 1, गुना काम्प्लेक्स, दूसरा तल,
443, अन्नासलाई तेइनेमपेट,
चेन्नई - 600018

बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड के समक्ष

कोई फीस नहीं

प्ररूप 2

प्रतिकथन का प्ररूप
[बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड नियम, 2003 का नियम 10(2)]
(तीन प्रतियों में भरा जाए)

..... के मामले में

हम व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार एतद्वारा यह सूचना देते हैं कि वे आधार निम्नलिखित हैं, जिन पर अपने आदेश/विनिश्चय, तारीख..... के समर्थन में हम निर्भर करते हैं :

.....
हम अपील में निम्नलिखित अभिकथनों को स्वीकार करते हैं :

.....
इन कार्यवाहियों से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं :

सत्यापन

हम, (प्रत्यर्थी का नाम), राष्ट्रीयता, जो के निवासी हैं, एतद्वारा यह सत्यापित करते हैं कि पैरा से तक की अन्तर्वस्तुएं हमारी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य है और पैरा से तक का विधिक सलाह पर सत्य होने का विश्वास किया जाता है और यह कि हमने किसी सारवान तथ्य को नहीं छिपाया है ।
तारीख :

स्थान :

प्रत्यर्थी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम)

सेवा में,

उप रजिस्ट्रार,
बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड,
एन्वेस्टी 1, गुना काम्प्लेक्स, दूसरा तल,
443, अन्नासलाई तेइनेमपेट,
चेन्नई -- 600018

बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड के समक्ष

फीस 1000 रु. प्रतिमाह
या उसका भाग

प्ररूप 3

समय विस्तारण के लिए आवेदन
[बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड नियम, 2003 का नियम 14(1)]
(तीन प्रतियों में भरा जाए)

..... के मामले में

मैं/हम,, जो उपर्युक्त मामले में हूँ/हैं, निम्नलिखित आधारों पर
एतद्वारा के लिए समय विस्तारण के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं :

.....

.....

इन कार्यवाहियों से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं :

.....

.....

तारीख :

स्थान :

अपीलार्थी/ आवेदक/प्रत्यर्थी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम)

सेवा में,

उप रजिस्ट्रार,
बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड,
एनेक्सी 1, गुना काम्प्लेक्स, दूसरा तल,
443, अन्नासलाई तेइनेमपेट,
चेन्नई - 600018

बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड के समक्ष

फीस 2000 रु.

प्ररूप 4

रजिस्टर के परिशोधन या व्यापार चिन्ह रजिस्टर से व्यापार चिन्ह हटाने से संबंधित कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करने की इजाजत के लिए आवेदन
[बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड नियम, 2003 का नियम 15]
(मामले के कथन की तीन प्रतियों के साथ तीन प्रतियों में भरा जाए)

..... प्रवर्ग में के नाम में रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह सं. के मामले में

में/हम, एतद्वारा उपरोक्त व्यापार चिन्ह के संबंध में रजिस्टर में परिशोधन करने या प्रविष्टि को हटाने से संबंधित कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करने की इजाजत के लिए आवेदन करता हूँ/ करते हैं ।

व्यापार चिन्ह में मेरा / हमारा हित है ।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं :

.....

.....

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम)

सेवा में,

उप रजिस्ट्रार,
बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड,
एनेक्सी 1, गुना काम्प्लेक्स, दूसरा तल,
443, अन्नासलाई तेइनेमपेट,
चेन्नई - 600018

बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड के समक्ष

फीस 1000 रु० प्रति मास
या उसका भाग

प्ररूप 5

सुनवाई के स्थान के लिए आवेदन
(बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड नियम, 2003 का नियम 18)
(तीन प्रतियों में भरा जाए)

..... के मामले में मैं/हम,, जो उपर्युक्त मामले में हूँ/हैं,
..... के लिए नियत सुनवाई को निम्नलिखित आधारों पर मास के लिए स्थगित करने के लिए
आवेदन करता हूँ/करते हैं :

.....
.....
.....

इन कार्यवाहियों से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं :

.....
.....
.....

तारीख :

स्थान :

अपीलार्थी/ आवेदक/प्रत्यर्थी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम)

सेवा में,

उप रजिस्ट्रार,
बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड,
एनेक्सी 1, गुना काम्प्लेक्स, दूसरा तल,
443, अन्नासलाई तेइनेमपेट,
चेन्नई - 600018

बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड के समक्ष

फीरा 3000 रू०

प्ररूप 6

अपील बोर्ड के आदेश के पुनर्विलोकन के लिए याचिका
[बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड नियम, 2003 का नियम 23(1)]
(मामले के कथन की तीन प्रतियों के साथ तीन प्रतियों में भरा जाए)

..... के मामले में, मैं/हम, जो उपर्युक्त मामले में
..... हूँ/हैं, उपर्युक्त मामले में, अपील बोर्ड में उनके तारीख के आदेश के
पुनर्विलोकन के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं।

आवेदन करने के आधार संलग्न कथन में दिए गए हैं।

सत्यापन

मैं/हम, (आवेदक का नाम), आयु वर्ष, राष्ट्रीयता, जो
..... के निवासी हूँ/हैं, एतद्वारा यह सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि पैरा से
..... तक की अन्तर्वस्तुएं मेरी/हमारी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य हैं और पैरा से तक
विधिक सलाह पर सत्य होने का विश्वास किया जाता है और यह कि मैंने/हमने किसी सारवान तथ्य को नहीं छिपाया
है।

तारीख :

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम)

सेवा में,

उप रजिस्ट्रार,
बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड,
एनेक्सी 1, गुना काम्प्लेक्स, दूसरा तल,
443, अन्नासलाई तेइनेमपेट,
चेन्नई - 600018

दूसरी अनुसूची

फीस
नियम

प्रविष्टि सं०	किसके लिए संदेय	राशि रु०	तत्स्थानी प्ररूप संख्या
1.	प्रतिकथन का फाईल करने के संबंध में	2000/-	प्ररूप 1
2.	प्रतिकथन का फाईल करने के संबंध में	कोई फीस नहीं	प्ररूप 2
3.	समय विस्तारण के आवेदन के संबंध में	1000 रु० प्रति मास या उसका भाग	प्ररूप 3
4.	रजिस्टर के परिशोधन या व्यापार चिन्ह रजिस्टर से व्यापार चिन्ह को हटाने से संबंधित कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करने की इजाजत के लिए आवेदन के संबंध में	2000/-	प्ररूप 4
5.	सुनवाई के स्थगन के लिए आवेदन के संबंध में	1000 रु० प्रति मास या उसका भाग	प्ररूप 5
6.	अपील बोर्ड के आदेश के पुनर्विलोकन के लिए याचिका के संबंध में	3000/-	प्ररूप 6

ह./-

उप रजिस्ट्रार

बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड

[फा. सं. 8/25/2003-आईआरएस]

अ.ए. अहमद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2003

G.S.R. 929(E).— The following rules made by the Intellectual Property Appellate Board to regulate its procedure, in exercise of powers conferred upon it by section 92 of the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999), are hereby published for general information:-

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION
INTELLECTUAL PROPERTY APPELLATE BOARD
INTELLECTUAL PROPERTY APPELLATE BOARD (PROCEDURE)
RULES, 2003

In exercise of the powers conferred by section 92 of the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999), the Appellate Board hereby makes the following rules, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called The Intellectual Property Appellate Board (Procedure) Rules, 2003.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) **“Act”** means the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999);
 - (b) **“address for service”** means the address furnished by an applicant or appellant or respondent or his authorised agent or his legal practitioner at which service of summons, notices or other processes may be effected;
 - (c) **“agent”** means a person duly authorised by an applicant or appellant or respondent to present application, appeal, counter statement, reply, rejoinder, evidence or any other document on his behalf before the Appellate Board and shall include an agent referred to in section 145;
 - (d) **“appeal”** means an appeal under section 91 of the Trade Marks Act, 1999 and includes Original Appeal (O.A.) and Transferred Appeal (T.A.);
 - (e) **“appellant”** means a person making an appeal to the Appellate Board under section 91;
 - (f) **“application”** means an application for removal of registered trade mark from the register under section 47 or rectifying the register under section 57 or section 125;

- (g) **“Deputy Registrar”** means the Deputy Registrar of the Appellate Board and includes any officer to whom the powers and functions of the Deputy Registrar may be delegated;
- (h) **“fee”** means the fee prescribed under the Second Schedule of these rules;
- (i) **“form”** means a form specified under the First Schedule to these rules;
- (j) **“legal practitioner”** shall have the same meaning as is assigned to it in the Advocates Act, 1961 (25 of 1961);
- (k) **“legal representative”** means a person who in law represents the estate of the deceased person ;
- (l) **“pleadings”** includes applications or appeals, counter statements, rejoinders, replies and evidences supplementing them and other documents permitted to be filed before the Appellate Board ;
- (m) **“Registry”** means the Registry of the Appellate Board;
- (n) **“section”** means a section of the Act;
- (o) **“transferred application or appeal”** means an application or an appeal or other proceedings which has been transferred to the Appellate Board under section 100;
- (p) words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Form of procedure of application or appeal**

- (1) An application shall be filed in the Form 1 annexed to the Trade Marks (Applications and appeals to the Intellectual Property

Appellate Board) Rules, 2003 by an aggrieved person in the Registry of the Appellate Board;

(2) An appeal from any order or decision of the Registrar of Trade Marks shall be filed in the Forms 2,3 or 4 of the Trade Marks (Applications and appeals to the Intellectual Property Appellate Board) Rules, 2003;

(3) An application or appeal sent by post shall be deemed to have been presented before the Registry on the day it was received in the Registry.

4. Payment of fee. -

The prescribed fees shall be paid through bank draft payable at Chennai drawn in favour of the Deputy Registrar, Intellectual Property Appellate Board.

5. Language of the Appellate Board. -

(1) The proceedings of the Appellate Board shall be conducted in English or Hindi.

(2) All decisions or orders of the Appellate Board shall be either in English or Hindi.

6. Application or appeal to be in writing. -

(1) Every application, appeal, counter statement, rejoinder, reply or other document filed before the Appellate Board shall be typed or printed neatly.

(2) The application or appeal under sub-rule (1) shall be presented

in three sets in a paper-book form alongwith an empty file size envelope bearing full address of the respondent and, in case the

respondents are more than one, then, sufficient number of extra paper-books together with empty file size envelopes bearing full addresses of each respondent shall be furnished by the applicant or appellant.

7. Presentation and scrutiny of application or appeal. -

- (1) The Deputy Registrar shall endorse on every application or appeal the date on which it is presented.
- (2) If, on scrutiny, the application or appeal is in order, it shall be duly registered and given a serial number.
- (3) If an application or appeal is found to be defective and the defect noticed is formal in nature, the Deputy Registrar may allow the applicant or appellant to rectify the same in his presence and if the said defect is not formal in nature, the Deputy Registrar may allow the applicant or appellant fifteen days time to rectify the defect as he may deem fit. If the application or appeal has been sent by post and found to be defective, the Deputy Registrar may communicate the defects to the applicant or appellant and allow the applicant or appellant fifteen days time from the date of receipt of the communication from the Deputy Registrar to rectify the defects.
- (4) If the applicant or appellant fails to rectify the defects within the time allowed in sub-rule (3), the application or appeal shall be deemed to have been abandoned.

8. Documents to accompany application or appeal. -

- (1) Every application shall be in triplicate in paper-book form and all evidences shall be in the form of affidavits, if any.

(2) Every appeal shall be in triplicate in paper-book form and shall be accompanied by the copies of the order, at least one of which shall be a certified copy against which the appeal is filed, alongwith evidences in the form of affidavits.

(3) Where a party is represented by authorized representative, a copy of the authorization to act as the authorized representative shall be appended to the application or appeal.

9. Notices of application or appeal to the respondent. -

A copy of the application or appeal in paper-book form shall be served by the Deputy Registrar on the respondent as soon as the same is registered in the Registry.

10. Filing of counter statement to the application or appeal and other documents by the respondent. -

(1) After receipt of the application or appeal filed in the prescribed Form 1, 2, or 3 of the Trade Marks (Applications and appeals to the Intellectual Property Appellate Board) Rules, 2003, the respondent may file three complete sets of counter statement in the prescribed Form 1 under these rules containing the reply to the application or appeal along with documents including evidences in the form of affidavits, if any, in paper-book form before the Registry within two months of the service of the notice on him of the filing of the application or appeal. A copy of the counter statement shall be served to the applicant or appellant by the respondent directly under intimation to the Registry.

(2) After receipt of the appeal filed in the prescribed Form 4 of the Trade Marks (Applications and appeals to the Intellectual

Property Appellate Board) Rules, 2003, the respondent may file three complete sets of counter statement in the prescribed Form 2 under these rules containing the reply to the appeal in paper-book form before the Registry within two months of the service of the notice on him of the filing of appeal. A copy of the counter statement shall be served to the appellant by the respondent directly under intimation to the Registry. The case would then proceed for hearing.

11. Filing of reply by the applicant or appellant . -

After receipt of counter statement, the applicant or appellant, may file his reply within two months of the service of the counter statement along with evidence in the form of affidavits, if any, in triplicate in the Registry. A copy of the reply shall be served on the respondent directly under intimation to the Registry.

12. Exhibits. -

Where there are exhibits to affidavits, a copy each of such exhibits shall be sent to the other party. The originals shall be left in the Appellate Board for inspection of the other party. These shall be produced at the hearing unless the Appellate Board otherwise directs.

13. Translation of documents. -

Where a document in a language other than Hindi or English is referred to in any proceedings, an attested translation thereof in Hindi or English shall be furnished in triplicate to the Appellate

Board and a copy thereof shall be served upon the other party or parties directly under intimation to the Registry.

14. Extension of time. -

- (1) If the Appellate Board is satisfied, on an application made to it in the prescribed Form 3 under these rules, that there is sufficient cause for extending the time for doing any act prescribed under these rules (not being a time expressly provided for in the Trade Marks Act, 1999) , whether the time so specified has expired or not, it may subject to such conditions as it may think fit to impose, extend the time and inform the parties accordingly.
- (2) Nothing in sub-rule (1) shall be deemed to require the Appellate Board to hear the parties before disposing off an application for extension of time and no appeal shall lie from any order of the Appellate Board under this rule.

15. Intervention by third parties. -

Any person other than the registered proprietor of a trade mark alleging interest in a registered trade mark in respect of which an appeal has been filed under section 91 against the order or decision of the Registrar for the removal of a trade mark or to cancel or vary the registration and to rectify the Register may apply in the prescribed Form 4 under these rules for leave to intervene, stating the nature of his interest and the Deputy Registrar may refuse or grant such leave after

hearing, if so required, the parties concerned upon such terms and conditions as he deems fit.

16. Date of hearing to be notified. -

The Appellate Board shall notify the parties the date and place of hearing of the application or appeal in such manner as the Chairman may by general or special order direct.

17. Hearing of application or appeal. -

- (1) On the day fixed or on any other day to which the hearing may be adjourned, the parties shall be heard by a Bench of the Appellate Board.
- (2) In case where the applicant or appellant does not appear at the hearing, the case will be treated as abandoned.

18. Adjournment of hearing. -

A party to the hearing may make an application in triplicate for adjournment of the hearing in Form 5 under these rules with the prescribed fee fifteen days before the date of hearing alongwith the concurrence for the adjournment from the other party. The Appellate Board may consider the application and pass such orders as it deems fit.

19. Award of costs by the Appellate Board. -

The Appellate Board may award such costs as it deems fit to the parties having regard to all the circumstances of the case.

20. Order to be signed and dated. -

- (1) Every order of the Appellate Board shall be signed and dated by the Members of the Bench.
- (2) The order shall be pronounced in the sitting of the Bench.

21. Communication of orders. -

A certified copy of every order passed by the Bench shall be communicated to the parties to the proceedings.

22. Publication of the orders . -

The orders of the Bench as are deemed fit for publication in any authoritative report or the press may be released for such publication on such terms and conditions as the Chairman may lay down.

23. Review petitions. -

- (1) A petition in triplicate for review of an order of the Appellate Board may be made to the Registry in the prescribed Form 6 under these rules within two months from the date on which the order is communicated accompanied by a statement setting forth the grounds on which the review is sought. Where the order in question concerns more than one respondent, sufficient extra copies of such petition and statement shall be filed.
- (2) The Registry shall forward the petition and statement to the respondents to the review petition.

- (3) The respondents may file counter statement in Form 1 under these rules within two months from the date of receipt of the review petition and shall forward a copy of the counter statement to the petitioner directly under intimation to the Registry.
- (4) The review petition shall be posted for hearing before a Bench by the Chairman.

24. Continuation of proceedings after the death of a party, merger, assignment, acquisition or transmission. -

On the death of a party or by merger, assignment, acquisition or transmission if a new party becomes entitled for continuation of the proceedings, the proceeding would be continued subject to filing a request with evidence in support therefor.

25. Fee for inspection of records and obtaining copies thereof. -

- (1) A fee of Rs.150/- for every hour or part thereof shall be charged for inspecting the records of a pending application or appeal or decided case.
- (2) A fee of Rs.5/- shall be charged for providing xerox copies of each page of the record.

26. Functions of the Deputy Registrar. -

- (1) The Deputy Registrar shall discharge the functions under the general superintendence of the Chairman. He shall discharge such other functions as are assigned to him under these rules or by the Chairman by a separate order in writing.
- (2) He shall have the custody of the records of the Appellate Board.
- (3) The official seal of the Appellate Board shall be kept in the custody of the Deputy Registrar.
- (4) Subject to any general or special directions of the Chairman, the official seal of the Appellate Board shall not be affixed to any order, summons or other process save under the authority in writing from the Deputy Registrar.
- (5) The official seal of the Appellate Board shall not be affixed to any certified copy issued by the Appellate Board save under the authority in writing of the Deputy Registrar.

27. Additional functions and duties of the Deputy Registrar. -

In addition to the functions and duties assigned under rule 26, the Deputy Registrar shall have the following functions and duties subject to any general or special orders of the Chairman, namely:-

- (i) to receive all applications, appeals, counter statements, replies and other documents;
- (ii) to decide all questions arising out of the scrutiny of the appeals and applications before they are registered;

- (iii) to require any application, appeal, counter statement, replies presented to the Appellate Board to be amended in accordance with the rules;
- (iv) subject to the directions of the Chairman, to fix date of hearing of the applications or appeals or other proceedings and issue notices therefor;
- (v) direct any formal amendment of records;
- (vi) to order supply of copies of documents to parties to proceedings;
- (vii) to grant leave to inspect the record of the Appellate Board;
- (viii) to requisition records from the custody of any court, Registrar of Trade Marks or other authority ;
- (ix) to decide questions relating to extension of time in respect of filing of counter statement, reply, rejoinder, etc.

28. Dress regulations for the Chairman, Vice-Chairman, Technical Member of the Appellate Board and for the representatives of the parties. -

- (i) The dress for the Chairman, Vice-Chairman and other Members shall be white pant with black coat and black tie or a buttoned-up black coat. If the officials are from the High Court Bench, then they shall be in their official robes.
- (ii) The dress for the professionals who appear before the Appellate Board shall be the professional dress, if any, and in case of other authorised representatives of the parties, it shall be the following :-

- (a) In the case of male, a black coat with a black tie or buttoned-up black coat over a white pant.
- (b) In the case of female, a black coat over white or any other sober coloured saree.
- (c) All other persons appearing before the Appellate Board shall be properly dressed.

29. Seal and emblem. -

The official seal and emblem of the Appellate Board shall be such as the Central Government may specify.

THE FIRST SCHEDULE

FORMS

Serial No.	Rule of the Intellectual Property Appellate Board, 2003	Title	Form Number
1.	Rule 10 (1) / 23(3)	Filing of counter statement	Form 1
2.	Rule 10(2)	Filing of counter statement	Form 2
3.	Rule 14	Application for extension of time	Form 3
4.	Rule 15	Application for leave to intervene in proceedings relating to rectification of the register or the removal of trade mark from the register of trade mark .	Form 4
5.	Rule 18	Application for adjournment of hearing	Form 5
6.	Rule 23	Petition for review of the order of the Appellate Board	Form 6

BEFORE THE INTELLECTUAL PROPERTY APPELLATE BOARD

Fee Rs.2,000

FORM 1

Form of Counter Statement

(Rule 10(1) / 23(3) of the Intellectual Property Appellate Board Rules, 2003)

(To be filed in triplicate and accompanied by as many copies as there are registered users / authorized users under the registration)

In the matter of Application / Registered Trade Mark No..... in class

I / we[1]the respondent or the registered proprietor/ authorized user of registered trade mark No..... hereby give notice that the following are the grounds on which I / we rely for my / our application / registered trade mark:-

.....
.....

I / we admit the following allegations in the application/ appeal:-

.....
.....

All communications relating to these proceedings may be sent to the following address in India:-

.....
.....

- 1. State the name and address of the registered proprietor or registered user of trade mark.

VERIFICATION

I..... (name of the respondent / registered proprietor / registered user of registered trade mark age..... of..... nationality, resident ofdo hereby verify that the contents of paras..... to..... are true to my personal knowledge and paras to are believed to be true on legal advice and that I have not suppressed any material fact.

Dated thisday of

Place:

Signature of the Respondent/

Registered proprietor/ registered user of registered trade mark

(FULL NAME OF THE SIGNATORY)

To,

The Deputy Registrar,
Intellectual Property Appellate Board,
Annexe 1, Guna Complex, II Floor
443, Anna Salai, Teynampet
Chennai- 600018

BEFORE THE INTELLECTUAL PROPERTY APPELLATE BOARD

No Fee

FORM 2

Form of Counter Statement

(Rule 10(2) of the Intellectual Property Appellate Board Rules, 2003)

(To be filed in triplicate)

In the matter of

Wethe Registrar of Trade Marks hereby give notice that the following are the grounds on which we rely for in support of our order / decision dated.....

We admit the following allegations in the appeal:-

.....

All communications relating to these proceedings may be sent to the following address in India:-

.....

VERIFICATION

We.....(name of the respondent / of.....
 nationality, resident ofdo hereby verify that the contents of
 paras..... to..... are true to our personal knowledge and
 paras to are believed to be true on legal advice and that I
 have not suppressed any material fact.

Dated, thisday of

Place:

Signature of the Respondent
 (FULL NAME OF THE SIGNATORY)

To

The Deputy Registrar,
 Intellectual Property Appellate Board,
 Annexe 1, Guna Complex, II Floor
 443, Anna Salai, Teynampet
 Chennai- 600018

BEFORE THE INTELLECTUAL PROPERTY APPELLATE BOARD

Fee Rs. 1,000 per month

Or part thereof

FORM 3

Application for extension of time

(Rule 14(1) Of the Intellectual Property Appellate Board Rules,2003)

(To be filed in triplicate)

In the matter of

I / webeing the

..... in the above matter hereby apply for an extension of time for..... on the following grounds.

.....
.....

All communications relating to these proceedings may be sent to the following address in India:-

.....
.....

Date:

Place:

Signature of
Appellant / applicant / respondent
(FULL NAME OF THE SIGNATORY)

To
The Deputy Registrar,
Intellectual Property Appellate Board,
Annexe 1. Guna Complex, II Floor
443, Anna Salai, Teynampet
Chennai- 600018

BEFORE THE INTELLECTUAL PROPERTY APPELLATE BOARD

Fee Rs.2,000

FORM 4

Application for leave to intervene in proceedings relating to the rectification of the register
or the removal of trade mark from the register of trade marks.

(Rule 15 of the Intellectual Property Appellate Board Rules, 2003

(To be filed in triplicate together with a statement of case in triplicate)

In the matter of the Trade Mark No.....registered in the name of
..... in
class.....

I / we..... hereby apply for leave to intervene in
the proceedings relating to the rectification or removal of the entry in the register in
respect of the above mentioned trade mark

My / our interest in the trade mark.....
.....

All communications relating to this application may be sent to the following address in
India:

.....
.....

Dated, this..... of.....

Signature of applicant
(FULL NAME OF THE SIGNATORY)

To

The Deputy Registrar,
Intellectual Property Appellate Board,
Annexe 1, Guna Complex, II Floor
443, Anna Salai, Teynampet
Chennai- 600018

BEFORE THE INTELLECTUAL PROPERTY APPELLATE BOARD

Fee Rs. 1000 per month
Or part thereof

FORM 5

Application for adjournment of hearing
(Rule 18 of the Intellectual Property Appellate Board Rules, 2003)

(To be filed in triplicate)

In the matter of I /
We being the in
the above matter hereby apply for adjournment of the hearing fixed for
..... for month on the following grounds:-

.....
.....
.....

All communication relating to these proceedings may be sent to the following address in India:

.....
.....

Dated, this of

Place:

Signature of
Appellant / Applicant / Respondent

(FULL NAME OF THE SIGNATORY)

To
The Deputy Registrar,
Intellectual Property Appellate Board,
Annexe 1, Guna Complex, II Floor
443, Anna Salai, Teynampet
Chennai- 600018

BEFORE THE INTELLECTUAL PROPERTY APPELLATE BOARD

Fee Rs.3,000

FORM 6

Petition for review of the order of the Appellate Board

(Rule 23(1) of the Intellectual Property Appellate Board Rules,2003)

(To be filed in triplicate together with a statement of case in triplicate)

In the matter of I / we..... being
 thein the above matter hereby apply to the Appellate
 Board for the review of their order dated theday of
200 in the above matter.

The grounds for making this application are set forth in the accompanying statement.

VERIFICATION

I..... (Name of the applicant) age.....
 of..... nationality, resident ofdo hereby verify that
 the contents of paras..... to..... are true to my personal knowledge and
 paras toare believed to be true on legal advice and that I
 have not suppressed any material fact.

Dated, thisday of

Place:

Signature of the Applicant

(FULL NAME OF THE SIGNATORY)

To,
 The Deputy Registrar,
 Intellectual Property Appellate Board,
 Annexe 1, Guna Complex, II Floor
 443, Anna Salai, Teynampet, Chennai- 600018

THE SECOND SCHEDULE**FEES
RULE**

Entry No.	On What Payable	Amount Rs.	Corresponding Form Number
1	On filing counter statement	2,000	Form 1
2	On filing of counter statement	No fee	Form 2
3	On application for extension of time	1,000 per month or part thereof	Form 3
4.	On application for leave to intervene in proceedings relating to rectification of the register or the removal of trade mark from the register of Trade Mark .	2,000	Form 4
5	On application for adjournment of hearing	1000 per month or part thereof	Form 5
6.	On petition for review of the order of the Appellate Board	3,000	Form 6

Sd/-

Deputy Registrar

Intellectual Property Appellate Board

[F. No. 8/25/2003-IRS]

A.E. AHMAD, Jt. Secy.